

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 26 / 11 / 2019

कमांक /3581 / 504 / 2019 / 1 / 59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 20/02/2019 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:-

क.	नाम/पदनाम/जिला	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त होकर देय है।
1	2	3	4
1.	डॉ०जयप्रकाश यादव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला शाजापुर (सेवा. 28.02.07)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2006
2	डॉ.जे.एस.ठाकुर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला छतरपुर (सेवा. 31.07.08)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01/04/2006
3	डॉ. गजेन्द्र सिंह कुशवाहा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला ग्वालियर (सेवा. 31.08.08)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2006
4	डॉ. चन्द्रशेखर पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला रीवा (सेवा. 10.07.08)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01/04/2006
5	डॉ. राममुर्ति अरोरा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला इंदौर (सेवा. 31.08.08)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2006

6	डॉ. जगन्नाथ सिंह (गोपाला), आयुर्वेद-चिकित्सा अधिकारी, जिला सीधी (सेवा. 31.07.09)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01/04/2006
7	डॉ. लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला सीधी (सेवा. 31.07.10)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2008
8	डॉ. ओम प्रकाश शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला धार (सेवा. 31.06.10)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2006
9	डॉ. गिरीश कुमार खरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला छतरपुर (सेवा. 31.12.11)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2008

2/- कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न विन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए :-


2.1 संबंधित अधिकारी को प्रारम्भिक 08/16 वर्ष की सेवा अवधि प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि से 08/16 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाय।

2.2 यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

2.3 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

3/ उपरोक्त वेतन निर्धारण में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात् ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कलावती उईके) 26-11-19
अवर सचिव


म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/3581/504/2019/1/59

भोपाल, दिनांक 26/11/2019

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,.....। समयमान वेतनमान की कार्यान्तर स्वीकृति के प्रकरणों में जिन अधिकारियों को समयमान वेतनमान पात्रता दिनांक को स्वीकृत नहीं किया जाकर पश्चातवर्ती दिनांक से स्वीकृत किया गया है उनसे उक्त अवधि में किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
- 5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदशित करने हेतु।
- 6- संभागीय आयुष अधिकारी,
- 7- जिला आयुष अधिकारी
- 8- संबंधित डॉ.....
- 9- आदेश फाइल।


अवर सचिव 26-11-19

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग